ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट सं0– 01, सैक्टर – के0पी0–04, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
फोन नं0 – 0120–2326136
फैक्स नं0 – 0120–2321511
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक: 7084 / ग्रे0नौ0 / वित्त / 2020–21 दिनांक: 27/01/2021

कार्यालय–आदेश

प्राधिकरण में बैंको की भांति Daily Reducing Balance Method (DRBM) के अनुरूप प्राधिकरण के आवंटियों के आवंटनों में अतिदेय धनराशि की गणना पद्धति निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.03.2016 के मद संख्या–104/7 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अधिकृत किया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु प्रकरण में पुर्नगठित समिति के संस्तुति सहित प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में कार्यालय आदेश संख्याः 28677/वित्त/2019–20 ग्रे0नौ0: दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को निर्गत किया जा चुका है। उक्त कार्यालय आदेश के कम में समिति के विचार–विमर्श के द्वारा निम्न बिन्दुओं के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया थाः–

प्रथम – यदि कोई ऋणधारक समय से पूर्व अथवा देय किश्त से अधिक धनराशि का भुगतान करता है, तो किश्त के समायोजन के पश्चात अधिक जमा धनराशि को अंतिम मूलधन से कम कर दिया जाता है, जिससे अंतिम मूलधन/किश्त में समायोजित करते हुये भुगतान की समय सीमा कम हो जाती है।

द्वितीय – यदि कोई ऋणधारक समय से पूर्व अथवा देय किश्त से अधिक धनराशि का भुगतान करता है, तो आगामी किश्त के ब्याज को तदानुसार कम कर दिया जाता है और अधिक जमा धनराशि को आगामी किश्त में समायोजन कर दिया जाता है तथा किश्त की अवशेष धनराशि की मांग की जाती है।

1. DRBM गणना पद्धति को सिस्टम विभाग द्वारा कम्पयूटर सिस्टम में प्रोग्राम के रूप में तैयार कराया जाये तथा उक्त पद्धति को दिनांक 01.10.2016 से लागू कराया जाये। इसके लिए प्रारम्भ में Manual गणना तैयार कर सिस्टम को दी जायेगी।
2. DRBM गणना पद्धति (Retrospective effect) से अनुमन्य नही होगी अर्थात उक्त पद्धति के लागू होने के पश्चात् प्राधिकरण के आवंटियों द्वारा जमा करायी जाने वाली धनराशि पर ही लागू होगी।
3. DRBM गणना पद्धति से गणना किये जाने का मुख्य उददेश्य यह है कि जिन आवंटियों द्वारा देय तिथि से पहले किश्तों के मद में धनराशि जमा करायी जाती है, उन्हे समय पूर्व भुगतान में ब्याज की बचत का लाभ प्राप्त हो।
4. DRBM गणना पद्धति को मा0 बोर्ड के अनुमोदन के अनुपालन में दिनांक 01.10.2016 से लागू किया जाए, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जो प्रकरण Close हो चुके है, उन प्रकरणों पर लागू न करके, बल्कि चालू प्रकरणों पर ही लागू किया जाए।
5. जिन प्रकरणों में किश्तों एवं अतिरिक्त प्रतिकर को मिलाकर कैपिटलाइज करते हुये रि–शिड्यूलमेन्ट किया गया है, उन प्रकरणों में कैपिटलाइज धनराशि के उपरान्त जारी पुर्ननिर्धारित पेमेन्ट प्लान पर ही DRBM गणना पद्धति लागू की जायेगी अर्थात् अद्यतन/वर्तमान पेमेन्ट प्लान पर लागू की जायेगी।

उपरोक्तानुसार सिस्टम विभाग द्वारा DRBM गणना पद्धति का प्रोग्राम विकसित किया जा चुका है, जिसे Go Live की कार्यवाही सिस्टम विभाग द्वारा की जा चुकी है। प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही करते हुए बैंको की भांति DRBM गणना पद्धति दिनांक 01.10.2016 से लागू कर दिया गया है। तदानुसार अब तक की गयी कृत कार्यवाही को प्राधिकरण की दिनांक 30.12.2020 को 121वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–121/7 में संचालक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया है। अतः सभी विभाग उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–
1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0/जी0) को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को, प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

महाप्रबन्धक (वित्त)